

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 776 / 2011 / कोटा.

मैसर्स नोबल ग्रेन (इण्डिया) प्रा० लि०, ताथेड़, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1626 / 2011 / कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नोबल ग्रेन (इण्डिया) प्रा० लि०, ताथेड़, कोटा.प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1244 / 2011 / कोटा.

मैसर्स गोयल ऑयल इण्डस्ट्रीज, I.P.I.A., कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 2374 / 2011 / कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गोयल ऑयल इण्डस्ट्रीज, I.P.I.A., कोटा.प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या – 1896 / 2011 / कोटा.

मैसर्स गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड, कसार, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या – 2370 / 2011 / कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड, कसार, कोटा.प्रत्यर्थी.

7. अपील संख्या – 2368 / 2011 / कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कृतिका वेजिटेबल ऑयल प्रा० लि०, कसार, कोटा.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....व्यवहारीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 04 / 2017

निर्णय

लगातार.....2

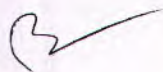
1-7. अपील संख्या – 776, 1626, 1244, 2374, 1896, 2370 व 2368/2011/कोटा.

1. उपरोक्त अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील प्रकरणों में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा अपील संख्या 776/2011; 1244/2011 व 1896/2011 एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1626/2011; 2374/2011; 2370/2011 एवं 2368/2011 प्रस्तुत की गयी है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपी.आदेश दिनांक	कर निर्धा. आदेश		राजस्व की अपील संख्या	आरोपित		
			दिनांक	वर्ष		कर	ब्याज	शास्ति
1.	776/11	11.03.11	12.07.10	2006-07	1626/11	23,14,913	10,41,710	42,29,826
2.	1244/11	03.05.11	05.08.10	2006-07	2374/11	10,75,277	4,94,627	21,50,554
3.	1896/11	16.06.11	19.08.10	2007-08	2370/11	4,70,073	—	9,40,146
4.	—	17.06.11	31.05.10	2006-07	2368/11	2,76,290	1,21,572	5,52,580

2. उक्त सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त समस्त अपीलार्थियों द्वारा खाद्य तेल की बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों को की गयी थी। इस आधार पर देय कर 2 प्रतिशत मानते हुए कर जमा करवाया गया था एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) व 8(4) के अनुसार घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु उक्त अपीलार्थियों के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच क्रेता व्यवसायियों के सम्बन्धित राज्यों से करवाई जाने पर कतिपय घोषणा पत्र बोगस प्रमाणित हुए जिसकी वजह या तो उन घोषित खरीदारों द्वारा वे घोषणा पत्र सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त नहीं होना पाया गया या उन फर्मों द्वारा वह माल खरीद नहीं किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अविधिक एवं बोगस घोषणा

लगातार.....3

1-7. अपील संख्या - 776, 1626, 1244, 2374, 1896, 2370 व 2368/2011/कोटा.

पत्रों पर करदेयता में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्राप्त की गई रियायत को निरस्त करते हुए पूर्ण कर दर से अन्तर कर आरोपित किया गया एवं अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा ये घोषणा पत्र स्वयं की मिलीभगत से प्राप्त किये गये थे एवं देय कर की चोरी करने के मन्तव्य से यह कार्य किया जाना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी राशि की शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा विवादित अन्तराज्यीय संव्यवहारों को लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट किया हुआ था एवं विभाग को प्रस्तुत घोषणा पत्रों में भी उक्त विक्रयों को दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का छिपाव नहीं किये जाने के आधार पर शास्ति को अपास्त किया गया था। इस तरह अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी व्यवसायियों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि व्यवसायियों द्वारा जो माल अन्तराज्यीय व्यापार के क्रम में विक्रय किया गया था वह सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया अनुसार अन्य राज्य के व्यवहारियों को उनके आदेश अनुसार माल भिजवाया गया था एवं परिवहन के दौरान अन्य घोषणा पत्र वैट-49 भी विभाग से प्राप्त कर माल के बिल के साथ भिजवाये गये थे, जिसकी घोषणा विभाग में प्रस्तुत विवरण पत्रों के साथ की गयी थी। इस तरह अपीलार्थियों द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावी व्यापारिक संव्यवहार के रूप में किये गये थे, जिसमें उनके द्वारा कर चोरी की कोई सम्भावना नहीं थी एवं न ही कर चोरी करने का आशय था क्योंकि उनके द्वारा समस्त विक्रयों को अपने विवरण-पत्रों में दर्शाते हुए माल को अन्य राज्यों के पंजीकृत व्यवहारियों को विक्रय करने के आधार पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार उद्ग्रहणीय देय कर जमा करवाया गया था एवं धारा 8(4) में विहित अनिवार्य घोषणा पत्र भी विभिन्न व्यवसायियों से प्राप्त किये गये थे जो उनके द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने कथन किया कि अन्य राज्यों के क्रेता व्यवहारियों ने जो घोषणा पत्र उन्हें भिजवाये थे, वे घोषणा पत्र उन क्रेताओं द्वारा कपटपूर्वक प्राप्त किये गये थे या वे त्रुटिपूर्ण थे इस सम्बन्ध में



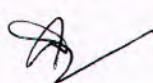
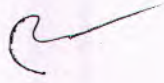

लगातार.....4

1-7. अपील संख्या - 776, 1626, 1244, 2374, 1896, 2370 व 2368/2011/कोटा.

अपीलार्थी व्यवसायियों को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारियों के पास उन वर्षों में ऐसी कोई सुविधा हासिल नहीं थी जिससे वे अपने स्तर पर घोषणा पत्रों का सत्यापन कर सकें। उन्होंने कथन किया कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा अब सभी राज्यों में ऑनलाईन घोषणा पत्र जारी किये जाते हैं जिनका ऑनलाईन सत्यापन भी व्यवहारी कर सकते हैं परन्तु उक्त अवधि में ऐसी कोई सुविधा नहीं होने से उनके द्वारा जो भी घोषणा पत्र प्राप्त हुए थे वे प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः उन घोषणा पत्रों के आधार पर उनको धारा 8(1) के देय कर अर्थात् रियायती कर दर से कर देना विधिसम्मत मानते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

5. अपीलार्थी व्यवसायियों के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान इस बिन्दु पर विवाद नहीं किया कि प्रस्तुत घोषणा पत्र विधिक रूप से क्रेता व्यवहारियों को प्राप्त नहीं थे एवं न ही वे उन व्यवसायियों को विभाग से जारी किये हुए थे परन्तु केवलमात्र इन्हें स्वीकार करने के कथन उनकी सद्भावी अवधारणा के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं।

6. अपीलार्थी व्यवसायियों के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से जो अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, उस सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश में जो शास्ति अपास्त की गयी है वह पूर्णतया विधिसम्मत निर्णय हैं क्योंकि इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी व्यवसायियों द्वारा किये गये संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में एवं विवरण-पत्रों में दर्शाये हुए थे एवं किसी भी संव्यवहार को विभाग से छिपाया नहीं गया था बल्कि सद्भावी रूप से प्रत्येक संव्यवहार की घोषणा करते हुए उनके द्वारा प्राप्त घोषणा पत्रों को विभाग में प्रस्तुत किया गया था और उन्हीं के आधार पर उनका सत्यापन विभाग द्वारा करवाया गया था ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत किसी भी तरह की शास्ति आकर्षित नहीं होती है एवं इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यवहारी द्वारा अपने संव्यवहारों को लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों से छिपाकर नहीं रखा गया है तो उस स्थिति में शास्ति का आरोपण अविधिक है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा समस्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चैक से प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का छिपाव एवं करापवंचन प्रमाणित नहीं होता है। इस आधार पर विभाग की अपीलों को अस्वीकार करने का भी अनुरोध किया।

1-7. अपील संख्या - 776, 1626, 1244, 2374, 1896, 2370 व 2368/2011/कोटा.

7. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे वे बोगस घोषणा पत्र थे जिनकी जानकारी अपीलार्थियों को नहीं होने का कथन विश्वसनीय नहीं हो सकता क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्यीय जांच करवाई जाने पर यह पाया गया था कि जो घोषणा पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे वे उन फर्मों को जारी नहीं किये गये थे जो कि इन अपीलार्थियों ने अपने क्रेताओं के रूप में दर्शाई थी। साथ ही जांच में यह भी पाया गया था कि उन कथित फर्मों द्वारा कोई माल खरीद करना प्रमाणित नहीं हुआ बल्कि यह प्रमाणित हुआ कि उन क्रेताओं द्वारा ऐसा कोई माल इन अपीलार्थियों से खरीद नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों द्वारा जो बिक्री की गयी थी वह वास्तव में अपंजीकृत व्यवसायियों को की गयी थी परन्तु स्वयं की मिलीभगत से उन क्रेताओं द्वारा बोगस घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे। इस आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी शास्ति को पुनर्स्थापित किये जाने पर बल दिया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह था कि अपीलार्थियों द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत कर दायित्व को घोषित किया गया था परन्तु उसके समर्थन में प्रमाण के रूप में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। व्यवहारियों द्वारा जो घोषणा पत्र 'सी' कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे उनमें से उक्त विवादित 'सी' फॉर्म बोगस पाये गये क्योंकि वे उन क्रेताओं को प्राप्त नहीं थे जिनके द्वारा यह विक्रेता व्यवसायियों को प्रेषित किये गये। इस तरह अपीलार्थियों द्वारा जो बिक्री पंजीकृत व्यवसायियों को अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बताई गई है उसकी कर दर का निर्धारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार राज्य में प्रचलित पूर्ण दर से ही किया जाना विधिक आवश्यकता है। अपीलार्थियों द्वारा स्वयं ने यह माना है कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनके सत्यापन पर वे विधिक नहीं पाये गये एवं क्रेता व्यवहारियों को यह घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होना प्रमाणित किया हुआ है परन्तु उनके द्वारा केवल यह तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें जो भी घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं वे सद्भावी होने से उनके द्वारा स्वीकार किये जायें जो कि पूर्णतया अविधिक तर्क है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत कर दायित्व का लाभ केवलमात्र घोषणा पत्रों के समर्थन पर ही प्राप्त हो सकता है जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है।



1-7. अपील संख्या - 776, 1626, 1244, 2374, 1896, 2370 व 2368/2011/कोटा.

चूंकि उक्त अपीलार्थियों द्वारा अपील में विवादित मामलों में प्रस्तुत घोषणा पत्र फर्जी एवं बोगस पाये गये अतः इनको कोई विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपित अन्तर कर एवं अनुवर्ती ब्याज यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं गयी है अतः अपीलार्थी व्यवसायियों की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

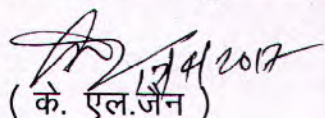
10. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी के निर्णय में व्यवसायियों के विरुद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त करने को जो चुनौती दी गयी है उस पर विचार किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायियों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में जो भी संव्यवहार किये गये थे उन्हें नियमित रूप से लेखा-पुस्तकों में रेखांकित किया गया है। साथ ही त्रैमासिक विवरण पत्रों में उन बिक्रियों की घोषणा करते हुए बिक्रियों को दर्शा दिया गया था। इस तरह किसी भी तरह का संव्यवहार छिपाया जाना प्रमाणित नहीं होने से वेत अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में यह विधि स्थापित की गयी है कि संव्यवहारों के लेखा-पुस्तकों में एवं विवरण पत्रों में दर्शाये जाने की स्थिति में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में समान मामलों में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 1361/2015/भरतपुर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स डी.आर.ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर में तथा इसके पूर्व माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के मैसर्स भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 में भी यह निर्णीत किया जा चुका है कि फर्जी या बोगस 'सी' फॉर्म पर कर एवं ब्याज आरोपणीय है परन्तु शास्ति का आरोपण अविधिक है।

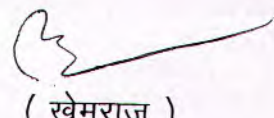
11. फलतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश एवं माननीय कर बोर्ड के आदेशों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के शास्ति अपास्त किये जाने के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

12. फलतः शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपीलों को भी अस्वीकार किया जाता है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण एवं राजस्व की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष